संक्षिप्त

बैठक आयोजित

बौंली- बामनवास। मित्रपुरा एवं बौंली तहसील क्षेत्र के निजी विद्यालय शिक्षा परिवार की बैठक बौंली उपखंड मुख्यालय के एक निजी विद्यालय में आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता महावीर सिंह नाथावत ने की आयोजित बैठक में निजी स्कूल शिक्षा परिवार का जिला स्तरीय अधिवेशन 3 अप्रैल 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया बैठक के दौरान जिला स्तरीय वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना को एवं मुख्य वक्ता के रूप में स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा को बुलाने पर विचार विमर्श किया गया बैठक के दौरान निजी स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया, जिसमें निजी स्कूल के संचालन में आ रही आरटीई का दो वर्ष से लंबित भुगतान व कक्षा 5 बोर्ड का परीक्षा शुल्क लेना साहित विभिन्न मांगे शामिल है

कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भरतपुर । प्रशासन द्वारा शहर में कराये जा रहे सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्यों की वजह से आम जनता को हो रही भीषण समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश सूपा के निर्देशन में जिले के वरिष्ठ पदाधिकारीयों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर कमर चौधरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
कांग्रेस संगठन महासचिव योगेश सिंघल ने बताया कि निर्माण कार्यों की वजह से पूरे शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है, रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा नहीं की गई है तथा नल, बिजली, पानी एवं सीवरेज की लाइन डालने के लिए सड़क के आर पार खुदाई कर दी गई है जिनकी बाद में ना तो लेबलिंग की गई है ना डाबरीकरण किया गया है। जिससे वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।

दो दिवसीय वाक्पीठ संगोष्ठी 27 को

निवाई। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिणक गुणवत्ता को सुदृढ करने के उद्देश्य से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की जिला स्तरीय वाक्पीठ संगोष्ठी का आयोजन 27 एवं 28 मार्च 2026 को किया जाएगा। वाकपीठ के सचिव रामकिशोर सैनी राहोली ने बताया कि दो दिवसीय संगोष्ठी में विभिन्न राजकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सम्मलित होकर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा आधुनिक शिक्षण पद्धितयों जैसे विषयों पर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी का मुख्य ध्येय सरकारी विद्यालयों में एक बेहतर और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण तैयार करना है।

शिवमहापुराण कथा का आयोजन

कोटपूतली। कस्बे के तालाब वाले प्राचीन श्री शिव मंदिर में 12 मार्च गुरुवार से 20 मार्च शुक्रवार तक 09 दिवसीय संगीतमय श्री शिवमहापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा का वाचन श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से पधारे श्री श्री 1008 श्री चतुर्भुज दास महाराज के शिष्य श्री शिवमहापुराण कथा के राष्ट्रीय कथा वाचक राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू करेंगे। कथा प्रतिदिन दोपहर 02:15 बजे से सायं 05:15 बजे तक होगी। 12 मार्च गुरुवार को प्रात: 08:15 बजे विशाल कलश यात्रा भगवान श्री परशुराम के मंदिर से निकाली जायेगी।

दांडी मार्च कल

टोंक। दांडी मार्च कि स्मृति में 12 मार्च को शांति मार्च पदयात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया जायेगा। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति टोंक के संयोजक सुनील बंसल ने बताया 12 मार्च का दांडी मार्च यात्रा निकाली जायेगी, जो बस स्टैंड से घंटाघर तक होगी।

खोया पाया

8/2 मालवीय नगर जयपुर का मूल आवंटन पत्र डिक्लेरेशन लेटर कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। 9414330026

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

करणी माता मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक आयोजित

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम एवं शहर बीना महावर ने करणी माता के मेले की व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में बैठक ली।

- मेले का 19 मार्च से 27 मार्च तक होगा आयोजन
- अतिरिक्त जिला कलक्टर ने विभागीय अधिकारियों को मेले के सफल आयोजन हेतु आपसी समन्वय रखते हुए सौंपे गये दायित्वों को पूर्ण करने के निर्देश दिये

अलवर । अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम एवं शहर बीना महावर की अध्यक्षता में आज आगामी 19 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित होने वाले बाला किला स्थित करणी माता के मेले की व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित हुई।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मेले के सफल आयोजन हेतु आपसी समन्वय रखते हुए सौंपे गये दायित्वों को यथासमय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं के प्रवेश का समय प्रात: 6 बजे से सांय 7 बजे तक रहेगा। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये कि मेले में नियमित रूप से साफ-सफाई कराने के साथ कचरे का उठाव करावे। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मेले में आवश्यकतानुसार पेयजल की व्यवस्था करावे एवं निर्धारित जगहों पर मोबाइल टॉयलेट लगवाएं। उन्होंने निर्देश दिये कि भण्डारे करने की अनुमति देते समय आयोजनकर्ता को पर्याप्त संख्या में भण्डारा स्थल पर कचरा पात्र रखने के लिए पाबन्द करें एवं कचरे का निस्तारण विधिवत रूप में करें और सुनिश्चित करावें कि कचरा वन क्षेत्र में नहीं फेंके तथा भंडारे में प्रसाद हेतु प्लास्टिक डिस्पोजल उत्पाद का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। पेड के पत्तों से बने पत्तल, दूने एवं मिट्टी के कुल्हडों का प्रयोग करे। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में डी.जे. व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंधित रहेगा। इसकी पालना सुनिश्चित करावे। उन्होंने कहा कि प्रसाद की दुकानों का स्थान इस प्रकार निर्धारित करें कि श्रद्धालुओं को आने-जाने में असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि मेला स्थल एवं बाला किला क्षेत्र में पॉलिथिन की थैलियां व प्लास्टिक डिस्पोजेबल उत्पाद ले जाने व उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिये कि मेला स्थल पर आमजन को चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा दलों का गठन कर आवश्यकतानुसार चिकित्सक एवं पैरा मैडिकल स्टाफ लगाएं।

उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वन नाका से मन्दिर तक के रास्ते में श्रृद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहां आवश्यक हो वहां स्पीड ब्रेकर संकेतक आदि लगाए जाएं।

उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि मेले में वृद्ध, असहाय एवं दिव्यांग लोगों को लाने व ले जाने के लिए एक अलवर वाहिनी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर विकास न्यास के अधिकारियों को मेला स्थल पर रोशनी, सीसीटीवी कैमरे इत्यादि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर श्रृद्धालुओं के अल्पकालीन विश्राम हेतु छाया एवं पानी की व्यवस्था कराए।

उन्होंने कहा किउन्होंने कहा कि चार पहिया वाहनों को वन विभाग के नाके से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, किन्तु मेला व्यवस्था में लगे वाहनों को आने-जाने की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि मेला स्थल पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर वायरलैस सैट उपलब्ध कराया जायेगा।

रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम में पंजीकरण प्रारम्भ

कोटपूतली। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित महाविद्यालय में रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना है। राजकीय एलबीएस पी जी महाविधालय के प्राचार्य डॉ. आर. के. सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय में दो महत्वपूर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जा रहे हैं। यह दो कोर्स हैं मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिसर में ही राज्य सरकार द्वारा चयनित एजेंसी के विशेषज्ञों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण, कॉर्पोरेट स्किल्स संचार कौशल तथा कार्यानुभव आधारित ज्ञान प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर विद्यार्थियों को संबंधित एजेंसी द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना में केवल प्रदेशभर में 259 ने फायदा उठाया

- राजस्थान में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के उपचार और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से 2024 में मुख्यमंत्री ने शुरू की प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना

किशनगढ़ बास। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के उपचार और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से 2024 मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना लेकर आए। लेकिन विडंबना रही की अभी तक इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ खैरथल तिजारा जिले का एक भी व्यक्ति नहीं उठा पाया वहीं पूरे राजस्थान में केवल 259 लोग ही उठा पाए हैं। मुख्यमंत्री की इस योजना को लेकर लोगों में जानकारी का अभाव रहा है या फिर सरकार के सिस्टम में कहीं कमजोरी रहीं हैं यह सरकार व मुख्यमंत्री को देखनी होगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना राज्य के ऐसे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण पहल है जो भारत सरकार की राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारी नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारियों से पीड़ित हैं। इस योजना का उद्देश्य गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना और उनके परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी रमेश दहमीवाल ने बताया कि राजस्थान में 259 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

इस योजना में पात्र बच्चों को उपचार के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों की देखभाल और आवश्यक खर्चों के लिए प्रति माह 5000 रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। यह योजना राज्य के ऐसे बालक, बालिकाओं के लिए है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जिन्हें राष्ट्रीय नीति के अनुसार दुर्लभ बीमारी से पीड़ित प्रमाणित किया गया है, वे आर्थिक सहायता के पात्र होंगे। इस योजना में माता-पिता या पालनकर्ता की आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार इसका लाभ उठा सकें।

दुर्लभ बीमारी का प्रमाणन केवल अधिकृत चिकित्सा संस्थानों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर तथा जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर को अधिकृत किया गया है। इन संस्थानों के सक्षम चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद यदि किसी बच्चे में दुर्लभ बीमारी की पुष्टि होती है, तो उसे योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें उपचार के लिए सरकार द्वारा गठित दुर्लभ बीमारी निधि का उपयोग किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के अनुदान के साथ-साथ क्राउड फंडिंग, दानदाताओं और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से प्राप्त राशि भी शामिल की जा सकेगी।

बैठक आयोजित

टोंक। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने राजस्थान दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कक्ष में बैठक ली। राजस्थान दिवस समारोह का शुभारंभ 15 मार्च से होगा। समारोह के तहत जिले भर में 15 से 19 मार्च तक विकसित राजस्थान रन, राजस्थान को जाने क्विज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, मंदिरों में आरती समेत विविध कार्यक्रम होंगे। राजस्थान को जाने क्विज, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता जिले भर के महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में आयोजित होगी। जिले में ओडीओपी मेले व प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। 16 मार्च को राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस, 17 मार्च को राजस्थान युवा शक्ति दिवस, 18 मार्च को मंदिरों में आरती, 19 मार्च को राजस्थान दिवस के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बैठक में एडीएम रामरतन सौंकरिया, सीईओ परशुराम धानका, एडीएम बीसलपुर भूपेंन्द्र यादव, एएसपी रतनलाल भार्गव, पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक, मधुसूदन, एसडीओ टोंक हुक्मीचंद रोहलानिया, एसीपी श्याम सुंदर जांगिड़ समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहें।

सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर उमड़ा समाज

सावित्रीबाई फुले सर्किल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया।

लालसोट। देश की प्रथम महिला शिक्षिका व महान समाज सुधारक की 129वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को लालसोट के सावित्रीबाई फुले सर्किल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाजबंधुओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सावित्रीबाई फुले ने करते हुए लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलकर सामाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव रखी। आज उनका जीवन संघर्ष समाज के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है।

समिति के सचिव राजेश सैनी मालवाला ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित समाजबंधुओं ने शिक्षा, समानता और सामाजिक जागरूकता के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा समिति के अध्यक्ष किशनलाल सैनी धाकड़ा, उपाध्यक्ष हरकेश सैनी सोनंदा, कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार माली जमात, सहसचिव गिर्राज प्रसाद सैनी डीडवाना, माली महासभा चौरासी के सभापति डॉ. रामनारायण वेध, गिर्राज प्रसाद सैनी कंछला, श्रवण सैनी धाकड़या, सावित्री सैना, मुकेश सैनी बगड़ी, पदम सैनी फड़कल्या, कांजीलाल सैनी खटवा, जयप्रकाश सैनी व हंसराज सैनी पार्षद सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित रहे।

महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक ध्वनिमत से पारित

- राजधानी जयपुर में आमेर के पास बनेगा विश्वविद्यालय

जयपुर। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक चर्चा और सुझावों के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित विश्वविद्यालय के पास स्थापित किया जाएगा।
विधेयक पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार रखे, वहीं कुछ सदस्यों ने इस पर जनमत लेने और पुनर्विचार की मांग भी की। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि आज खेल केवल खेल नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग 10 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में खेलों की अर्थव्यवस्था करीब 520 बिलियन डॉलर यानी लगभग 50 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि भारत में यह करीब 10 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान क्रिकेट का है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित होने से खेलों से जुड़े कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फिजियोथैरेपिस्ट, डेटा एनालिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिकल डॉक्टर और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जैसे क्षेत्रों में युवाओं को नए अवसर मिलेंगे।

कलेक्टर ने पंच गौरव के लिए कार्ययोजना एवं प्रचार प्रसार के संबंध में निर्देश दिए

कोटपूतली । राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में विरारात एवं पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही आर्थिक उन्नित एवं रोजगार के अवरारों में बढोतरी कर प्रदेश के सभी जिलों के सर्वागीण विकास हेतु राज्य में पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया गया है। कोटपूतली-बहरोड़ जिले की विरासत एवं पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पंच गौरव के रूप में एक जिला-एक उत्पाद में ऑटोमोबाईल पार्टस, एक जिला-एक उपज में गाजर, एक जिला-एक वनस्पति में गूगल, एक जिला-एक खेल में कुश्ती, एक जिला-एक पर्यटन स्थल में बैराठ चिहित किये गये हैं।

योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में पंच गौरव कार्यक्रम के लिए प्राप्त बजट से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन सहित आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने पंच गौरव के संरक्षण और संवर्धन व प्रचार प्रसार के लिए वन, कृषि, उद्योग, पर्यटन और खेल विभाग को ठोस कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित कर कहा की पंच गौरव के लिए विस्तृत रोडमैप बनाएं। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना में विज्ञापन, उत्सव, प्रचार स्टॉल, कार्यशाला, बुकलेट, पंपलेट पर आवश्यक व्यय की कार्य योजना तैयार हो। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय से पंच गौरव योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश सहारण, एसीईओ हरिओम मीणा, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी अखिल गुप्ता एवं विसंभर दयाल गुर्जर , संयुक्त निदेशक कृषि लीला राम जाट, जिला उद्योग अधिकारी भंवरलाल सैनी, एसीएफ तरुण प्रकाश यादव, खेल विभाग से जसवीर सिंह सहित समबन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

NAME CHANGE

My name is Dushar Jain, son of Rakesh Kumar Jain. In my school documents, CBSE Board and other school documents, it is written as DUSHAR JAIN BHILASPURIYA. Whereas in my Aadhar card, Janadhar card, birth certificate etc. documents, it is written as Dushar Jain. Now I am keeping my name as Dushar Jain, in future I should be known and recognized only by the name Dushar Jain.
Dushar Jain S/O Rakesh Kumar Jain
R/O in front of Sabeel Shah's post, Tonk (Raj.)

आम सूचना दिनांक-10.03.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल मोहम्मद अकबर पुत्र मौहम्मद आशिक निवासी ए-306 शिव मार्ग राजपूत टीला, भट्टाबस्ती, जयपुर का पुत्र सलीम मेरे मुवक्किल के कहने में नहीं है तथा उसने अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली है एवं मेरे मुवक्किल के साथ आये दिन लड़ाई झगड़ा करता है तथा परेशान करता है इस कारण मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र सलीम को अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है इसलिए आज से सलीम का मेर मुवक्किल की चल-अचल सम्पत्ति से कोई संबंध व हक अधिकारी नही रहा है। सलीम पुत्र मौहम्मद अकबर द्वारा किये गये लेन-देन संव्यवहार व कृत्यों के बारे में मेरे मुवक्किल की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अत सूचित रहे।
(नवल किशोर सिंघल) एडवोकेट, मो. 9314876234

इंतेजामिया वक्फ कमेटी दरगाह अमानीशाह जयपुर
दरगाह अमानीशाह जयपुर
क्रमांक-506/26 दिनांक-09.03.2026
टेंडर सूचना
दरगाह हजरत दाता अमानीशाह जयपुर में दिनांक 11.03.2026 से झूले के टेंडर फार्म भरे जाकर दिनांक 17.03.2026 को दोपहर 3 बजे को राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड एल के 1 ज्योति नगर जयपुर में खोले जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कमेटी के दफ्तर में संपर्क करें।
सदर जमील उर्रहमान फारूकी
इंतेजामिया वक्फ कमेटी
दरगाह अमानीशाह जयपुर, मो.नं. 9887747786

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम (MOHAMMED SHOAIB) से बदलकर (MOHD SHOAIB) पुत्र अब्दुल वहीद निवासी 1020 चार दरवाजा गंगापाल रोड जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे (MOHD SHOAIB) के नाम से जाना पहचाना जावें।

मेरा नाम आरती विजय (ARTI VIJAY) है। जबकि अन्य दस्तावेजों में आरती विजय (AARTI VIJAY) दर्ज है। भविष्य में मुझे आरती विजय (AARTI VIJAY) पत्नी श्री नवीन विजय के नाम से जाना पहचाना जावें। निवासी 90 नन्दपुरी मालवीय नगर जयपुर-902017 राज.

मैंने अपना नाम परमानन्द साजानी से बदलकर परमानन्द महादेव साजानी कर लिया है। परमानन्द महादेव साजानी निवासी मकान नं. 12/224-बी, शंकर नगर निर्मल स्कूल के पीछे, आमेर रोड, जयपुर (राजस्थान) भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-10707 दिनांक-05.03.2026
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास संख्या 268/03 (MIG-B), का आवंटन श्री हेमेन्द्र माथुर पुत्र स्व. श्री दुर्गा प्रसाद माथुर को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1662 दिनांक 30.06.2007 के द्वारा जारी किया गया था। श्री हेमेन्द्र माथुर द्वारा श्री कालु सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह को दिनांक 26.06.2008 को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री कालु सिंह द्वारा श्री हेमेन्द्र माथुर के पक्ष में पंजीयन निष्पादन दिनांक 28.07.2008 को करवाया गया। श्री कालु सिंह द्वारा मुख्तारआम की हैसियत से पंजीयन पश्चात उक्त आवास का विक्रय कर श्री आवेग जैन पुत्र श्री अजय जैन को दिनांक 31.07.2008 विक्रय पत्र उप पंजीयक (अष्टम) जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्री आवेग जैन द्वारा उक्त आवास को दिनांक 19.05.2010 को श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री छिद्दा राम शर्मा को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक अष्टम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। तत्पश्चात आवेदक श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन करने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3194 दिनांक 11.08.2010 के द्वारा मण्डल रिकार्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 17.09.2021 को श्रीमती माया देवी अग्रवाल पत्नी श्री शिव कुमार अग्रवाल को Exchange Deed कर उनके पक्ष में बदल पत्र उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती माया देवी अग्रवाल पत्नी श्री शिव कुमार अग्रवाल द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती माया देवी अग्रवाल पत्नी श्री शिव कुमार अग्रवाल का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय ADJ No. 2 साहब स्थान हिण्डौन
आरती विरुद्ध हरिओम
वाद/प्रार्थना पत्र Ti c.m.
प्रार्थना-पत्र संख्या 13 सन् 2019
नाम वन्दना टंडन पुत्री टेकचन्द पत्नि श्री अमित टंडन जाति पंजाबी पता नि. प्लाट नं. 117, फ्लेट नं. 202, चौधरी रोड्ड, राम नगर, पत्रकार कॉलोनी जयपर (राज.)।
उक्त वादी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 13 माह 03 सन् 2026 को 10.30 A.M. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 09 माह 03 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-
(मुहर) सीनीयर रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं. 2 हिण्डौन सिटी (करौली)

विवाधको के स्थरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय ADJ No. 2 साहब स्थान हिण्डौन
आरती विरुद्ध हरिओम
वाद बावत दावा वाद सं. 13 सन् 2019
बनाम 1. वन्दना टंडन पुत्री टेकचन्द पत्नि श्री अमित टंडन जाति पंजाबी स्थान नि. प्लाट नं. 117, फ्लेट नं. 202, चौधरी रोड्ड, राम नगर पत्रकार कॉलोनी जयपर ने आपके विरूद्ध के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 13 माह 03 सन् 2026 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित्त साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल /सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं. तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता. 09 माह 03 सन् 2026 का मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से- सीनीयर रीडर
(मुहर) अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं. 2 हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1818
चूंकि प्रार्थी श्री मुकेश मित्तल 599/5 पटेल नगर वार्ड नंबर 6 गुडगांव हरियाणा 122001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास शनि धाम मंदिर संस्थान शनि धाम K N D स्कीम ग्राम कंवरपुरा कोटखावदा जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14.05.2026
(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1591
चूंकि प्रार्थी श्री हरिओम दास मंदिर परिसर श्री लक्ष्मीनारायण जी महराज परमानन्द धाम ग्राम खोरी शाहपुरा जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज परमानन्द धाम मंदिर परिसर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज परमानन्द ग्राम खोरी शाहपुरा जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14.05.2026
(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिवाडी, जिला खैरथल-तिजारा, राजस्थान
हेमन्त कुमार बनाम कमल सिंह
मु.नं. 238/22/25
आम-सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हेमन्त कुमार पुत्र श्री भगत सिंह निवासी सुखम टॉवर, भगत सिंह कॉलोनी भिवाडी, जिला खैरथल-तिजारा, राजस्थान-301019 ने न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिवाडी में कमल पुत्र श्री कॅवर सिंह निवासी डी-2 करणी पैलेस रोड, बजरी मंडी रोड, भुवनेश्वरी वाटिका पॉचावाला, जयपुर राजस्थान के विरूद्ध दावा वसूली बाबत सिविल वाद दायर किया है। जिसकी आगामी पेशी दिनांक 30.03.2026 न्यायालय श्रीमान जी द्वारा नियत की गई है। यदि प्रतिवादी को किसी भी प्रकार का कोई एतरज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 30.03.2026 को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर अदालत होकर अपना पक्ष रख सकता है। अन्यथा न्यायालय श्रीमान जी के द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही विधिवत कर दी जावेगी।
आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर व सील मोहर से कार्यालय के द्वारा जारी किया गया।
आदेशानुसार
रीडर ग्रेड-प्रथम
(मोहर अदालत) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भिवाडी, जिला खैरथल-तिजारा, राजस्थान

(देखिए नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नं. 364/2026
चूंकि श्री बृजमोहन वर्मा निवासी वार्ड न. होली दरवाजे के बाहर चौमूं जिला जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास विद्या भारती जयपुर जन शिक्षा न्यास कार्यालय सेवाधाम परिसर जवाहर नगर सेक्टर-4, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जाच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस को जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तिया यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।
आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइन्दा तारीख पेशी 15.05.2026
(मोहर) सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम,प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-10442 दिनांक-23.02.2026
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर सांगानेर योजना में आवास संख्या 163/303 (EWS), (एरिया 36.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री रामचन्द्र पुत्र श्री गुलाब चन्द को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1466 दिनांक 29.09.1999 को जारी किया गया। जिसका भौतिक कब्जा दिनांक 25.05.2000 को प्राप्त कर लिया गया। श्री रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 15.01.2009 को हो जाने के कारण घोषणा पत्र के आधार एवं शपथ पत्र इनके पुत्र श्री विनोद कुमार उमरवाल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र उमरवाल द्वारा उक्त आवास स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अत उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री विनोद कुमार उमरवाल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र उमरवाल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

आम सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-30200
क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-150
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 273126
दिनांक 20/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृनि.सं.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	Madhu W/o Ashok Kumar	श्रीमती बूली बाई पत्नी स्व. श्री झामनदास एवं मधु पत्नी श्री अशोक कुमार	354	60.00 SQ. YARD	Cooperative	SACHIWALYA VIHAR SCHEME NO.27 Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	[illegible]

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection Module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, करौली

प्रेम विज्ञप्ति

क्र.स.	नाम शिशु	उम्र	लिंग	शिशु प्राप्ति स्थल	प्रवेश का माध्यम	शिशु का फोटो
1	अयान (रखा गया नाम)	लगभग 5-6 दिन	F	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, वीणा मैमोरियल डिग्री कॉलेज के पास, करौली स्थित पालना गृह	बाल कल्याण समिति, करौली	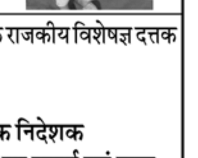

नोट:- उक्त शिशु का पुनर्वास/दत्तक ग्रहण किय जाना है। यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 30 दिवस के अंदर कार्यालय अधीक्षक राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी, वीणा मैमोरियल डिग्री कॉलेज के पास करौली में आकर आपत्ति प्रस्तुत करावें।
दूरभाष नम्बर :- 07464-294625 (9982402482, 9636038008) ई-मेल आईडी adicps-karauli@gov.in

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग करौली